न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश गैगेस्टर एक्ट,अयोध्या।
सत्र परीक्षण संख्या–42/2023
पंजीयन संख्या–68/2023
अपराध संख्या–129/2022
राज्य बनाम सन्तोष तिवारी आदि
धारा–147,323,504,506,342,364 भा.द.स.
थाना–कोतवाली नगर
जिला–अयोध्या।
दिनॉक–15.07.2023

निस्तारण–उन्मोचन प्रार्थनापत्र 8ब अन्तर्गत धारा–227 दं0प्र0सं0

1. पत्रावली आदेशार्थ प्रार्थना पत्र 8ब हेतु आज नियत है। प्रार्थना पत्र 8अ पर अभियुक्तागण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी को पूर्व में सुना जा चुका है।

2. अभियुक्तगण की ओर से अन्तर्गत धारा–227 दं0प्र0सं0 प्रस्तुत किया गया है कि घटना दि0–05.02.12 की रात्रि 9.30 बजे दर्ज करायी गयी है। प्रार्थी विनय कुमार सिंह एडवोकेट की बी0एल0ओ0 से मतदान पर्ची बनवाते समय बसपा समर्थको, साथियो के साथ वादी को रोक कर बिना वजह भद्दी–भद्दी गाली देते हुए जबरदस्ती बलपूर्वक अपने गाडी में भरकर जान से मारकर फेक देने की नियत से आये। साथियो के शोर मचाने पर गॉव वालो ने दौडाया तो अज्जू तिवारी सन्तोष तिवारी से कह रहे थे कि इस साले को जान से मारकर फूंक देने से चौरे कार्यालय से समाजवादी पार्टी का मैनेजमेटं बिगड जायेगा डर से कनॉवा मोड पर फेककर हैदरगंज की ओर भाग गये। वादी मुकदमा स्वयं एक अधिवक्ता है तथा मुख्तार अंसारी के करीबी बाहुबली विधायक अभय सिंह का खास आदमी है। झूठी घटना दर्शाकर वाद उपरोक्त में नामित किया है। वादी मुकदमा को कथित घटना के दौरान किसी प्रकार की कोई उपहित प्रार्थीगण द्वारा नही पहुंचाया गया है, केवल दर्द की शिकायत होना कहा गया है। वादी को वही छोडकर भागने से अपहरण का अपराध पूर्ण नही होता जिस कारण 364 भा.द.स. का अपराध प्रार्थीगण पर कारित नही होता जो कि 342 भा.द.स. की श्रेणी तक ही सीमित है। यदि अभियोजन कथानक को मान भी लिया जाये तो प्रथम दृष्टया उक्त घटना को प्रार्थी पर 342,511 भा.द.स. तक ही श्रेणी का अपराध बनना प्रतीत होता है। उक्त सम्पूर्ण घटना में घटना स्थल बी0एल0ओ0 कार्यालय आदि का कोई स्वत्रन्त साक्षी नही है। जो भी गवाह है वह वादी मुकदमा के हितबद्ध गवाह है दोनो साक्षी अभय सिंह के सहयोगी है तथा एफ. आई.आर. व 161 द.प्र.स. के बयान में गवाह शीतला प्रसाद वर्मा व अशोक पाठक के अलावा किसी भी अन्य स्वत्रन्त साक्षी का गवाह न होना विवेचनाधिकारी के विवेचना में भी संदेह उत्पन्न करता है। उपरोक्त परिस्थितियो में प्रार्थीगण उक्त धाराओं से उन्मोचित किये जाने की याचना की गयी।

3. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया और कथन किया गया कि उक्त प्रकरण परीक्षण का विषय है इस स्तर पर प्रार्थना पत्र निरस्त होने योग्य है।

4. अभियुक्तगण सन्तोष तिवारी आदि के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि वादी मुकदमा के सम्बन्ध मे एक तरफ अभियोजन यह कहता है कि उसे सदोष परिरोध कर लिया गया वही दूसरी ओर अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा का व्यपहरण करने की बात कही जा रही है। इसके अतिरिक्त यह भी कहा कि यदि अभियोजन कथानक को क्षण भर के लिये स्वीकार कर लिया जाये तो अधिकतम अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा'342,व 511 भा.द.स. का ही आरोप विरचित किया जा सकता है।

5. उभयपक्षो की बहस सुनने तथा पत्रावली का परिशीलन करने के उपरान्त भा.द.स. से सम्बन्धित आवश्यक प्राविधान का उल्लेख करना समीचीन होगा।

भा.द.स. की धारा–364 यह प्रावधानित करती है कि–हत्या करने के लिए व्यपहरण या अपहरण–जो कोई इसलिये किसी व्यक्ति का व्यपहरण या अपहरण करेगा कि ऐसे व्यक्ति की हत्या की जाय या उसको ऐसे व्ययनित किया जाये कि वह अपनी हत्या होने के खतरे में पड जाये, वह आजीवन कारावास से, या कठिन कारावास से जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

342 भा.द.स.यह प्रावधानित करती है कि–सदोष परिरोध के लिए दण्ड–जो कोई किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध करेगा, वह दोनो में से किसी भॉति के कारवास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो एक हजार रूपये तक का हो सकेगा या दोनो से दण्डित किया जायेगा।

6. अभियुक्तगण पर प्रथम दृष्टया यह आरोप लगाया गया है कि अभियुक्तो द्वारा वादी मुकदमा का व्यपहरण किया है,और उसे जबरदस्ती अभियुक्तगण के वाहन में निरूद्ध रखा गया था।अभियुक्तगण द्वारा दिये गये तर्क को इस स्तर पर यह कहते हुए नही नकारा जा सकता कि वादी मुकदमा का व्यपहरण करने के बाद छोड दिया गया था, तथा यह व्यपहरण हत्या के उद्देश्य से नही किया गया था।वादी मुकदमा द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित तथ्यो का समर्थन किया गया। इसके अतिरिक्त अभियोजन गवाह अशोक पाठक व शीतला प्रसाद वर्मा ने भी धारा–161 द.प्र.स. के बयान में अभियोजन कथानक का समर्थन किया है। विवेचना में यह पाया गया कि घटना दिनॉक–05.02.2012 की रात्रि 9.30 बजे वादी मुकदमा को अभियुक्तगण द्वारा व्यपहरण किया गया तथा उसको अपनी गाडी सफारी/लग्जरी पर भद्दी–भद्दी गालिया देते हुए जान से मारने की नियत से गाडी में भरकर/ले जाया

गया और इस दौरान उसे उसकी मर्जी के बगैर सदोष परिरोध में रखा गया गॉव वालो द्वारा दौडाये जाने पर अभियुक्तगण वादी मुकदमा को भद्दी–भद्दी गाली देते हुए कनॉवा मोड के पास फेककर हैदरगंज की तरफ भाग गये।

7. माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की विधि व्यवस्था–**डाक्टर हेमन्त कुमार तनेजा बनाम सरकार (2004) 3क्राइम–152 इलाहाबाद,** एवं **श्रीमती इन्द्रजीत कौर बनाम स्टेट आफ दिल्ली 2002 सीआरएलजे–505 पृष्ठ 506** में यह अभिमत व्यक्त किया गया है कि आरोप विरचित करने के आरम्भिक प्रक्रम पर अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किये गये साक्ष्य की सच्चाई और विश्वसनीयता की सूक्ष्मता से जॉच/मूल्यांकन करने की आवश्यकता नही है।

8. माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था–**पलबिन्दर सिंह बनाम बलबिन्दर सिंह ए.आई.आर.2009 एस.सी.887** में यह प्रतिपादित किया गया है कि आरोप विरचन के चरण में न्यायालय द्वारा साक्ष्य का अधिमूल्यांकन नही किया जाना चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था–**सांधी ब्रदर्स(इन्दौर)प्राइवेट लिमिटेड बनाम संजय चौधरी ए.आई.आर.2009 एस.सी.–9** में अभिनिर्धारित किया गया है कि अभियुक्तो के अपराध में लिप्त होने की आंशका/संदेह प्रकट मात्र के आधार पर उनके विरूद्व आरोप विरचित करने के आपराधिक कार्यवाही की जानी भी अनुज्ञेय होती है।

9. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **स्टेट आफ उडीसा बनाम देबेन्द्र नाथ पादी ए.आई.आर 2005 एस.सी.सी. 369** में यह अभिमत प्रतिपादित किया गया है कि आरोप विरचन के समय साक्ष्यो का क्रम बन्धन आवश्यक नही है। अभियुक्त के विरूद्ध आरोप विरचन किये जाने के चरण में केवल अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्य एवं साम्रगी पर विचार किया जायेगा।

10. उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि विवेचना में नामित मुकदमा वादी एवं अभियोजन साक्षियो द्वारा अपने बयान धारा–161 द.प्र.स.में घटना का समर्थन किया गया है। केस डायरी में अभियुक्तगण द्वारा विधि विरूद्ध जमाव कर वादी मुकदमा को व्यवहरित कर शारीरिक पीड़ा पहुॅचाये जाने का साक्ष्य संकलित किया गया है तथा यह भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है कि वादी मुकदमा को अभियुक्तगण द्वारा उसकी मर्जी के विरूद्ध सदोष परिरोध में रखा गया एवं वादी मुकदमा को भद्दी–भद्दी गाली व जान से मारने की धमकी दी गयी। अतः पत्रावली में अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रथम दृष्टया विचारण के उद्देश्य से धारा–147,323,504,506,342,364 भा.द.स. का अपराध कारित किया जाना दर्शित है।

11. मामले के तथ्य एवं परिस्थितियो एवं उपयुक्त विधि व्यवस्था में प्रतिपादित सिद्वान्त को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय इस मत की है कि अभियुक्तगण

सन्तोष तिवारी, अजय तिवारी उर्फ अज्जू तिवारी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 8ब निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

12 अभियुक्तगण सन्तोष तिवारी, अजय तिवारी उर्फ अज्जू तिवारी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 8ब निरस्त किया जाता है। अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वह नियत तिथि पर व्यक्तिगत रूप से न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगे। पत्रावली आरोप विरचन हेतु दिनॉक–10.08.2023 पेश हो।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
गैगेस्टर एक्ट, अयोध्या